

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.23()स्था/निकाशि/RVRES/2012/378

दिनांक:-17-05-13

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय:- RVRES व्याख्याताओं के रिफ्रेशर/ओरियेन्टेशन कोर्स से
सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 (RVRES) के तहत नियुक्त हुये ऐसे शैक्षणिक कार्मिक जो वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान ओरियेन्टेशन व रिफ्रेशर कोर्स नहीं करने के कारण रुके हुए है व किस तिथि से रुके हुये है तथा 31.12.2013 तक ओरियेन्टेशन व रिफ्रेशर कोर्स करने पर देय वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान पर अनुमानित कितना वित्तीय व्यय भार आना सम्भावित है, की सूचना दिये गये प्रोफार्मा में शीघ्र उपलब्ध करावें।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	विषय	वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान किस दिनांक से रुका हुआ है	वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान पर कितना वित्तीय भार आयेगा
1				
2				
3				

नोट:- यह सूचना केवल जिन महाविद्यालयों में RVRES 2010 के तहत व्याख्याता नियुक्त किये गये है केवल उन्हीं के द्वारा दी जानी है। जिन महाविद्यालयों में RVRES स्टाफ नहीं है व सूचना शून्य हो तो सूचना प्रेषित नहीं की जावें।

Das
उप निदेशक (कार्मिक)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. डॉ.धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।

Das
उप निदेशक (कार्मिक)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर